81/2016

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 81/2016 (RCMS 2016/00234) गृह फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय गृह नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लैबोरेट्री श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री जगजीत सिंह पहलवान पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी अहाता नं. 11 चक 20 जीजी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. श्री कंवरदीप सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह पहलवान निवासी अहाता नं. 11, चक 20 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

31.10.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता जितेन्द्र पराशर उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई, एंवम पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी –GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण जगजीत सिंह एवंम कवंरदीप सिंह को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 5,00,000/–रूपये (अखरे रूपये पांच लाख़ मात्र) दिनांक 25.02.2010 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी जगजीत सिंह पहलवान पुत्र बलंवत सिंह द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान अहाता नं. 11 जो कि चक 20 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 30.04.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 19.03.2016 को 4,83,544.97/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी

जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर

81/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

नोटिस दिनांक 07.05.2016 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया ।

धारा 13(2) के 60 दिवसें के नोटिस अप्रार्थीगण के नाम दैनिक कृषि प्रभात एवंम दैनिक युग पुरूष समाचार पत्र दिनांक 24.05.2016 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी जगजीत सिंह पहलवान द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति आवासीय मकान अहाता नं.11, स्थित चक 20जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया तो पाया पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है इसलिए कम्पनी गृह फाईनेंस लिमिटेड को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी जगजीत सिंह पहलवान पुत्र श्री बलवंत सिंह एवंम कवंरदीप सिंह निवासीगण अहाता नं.11 चक 20जीजी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दिनांक 25.02.2010 को ऋण सुविधा के रूप में 5,00,000/--(अखरे रूपये पांच लाख) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी जगजीत सिंह पहलवान द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

81
2016 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर A3/3

मकान अहाता नं. 11, स्थित चक 20जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवंम शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **30.04.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी जारी रजिस्टर्ड नोटिस धारा 13(2) के लेने **इंन्कार करने पर पुनः जगजीत सिंह व कंवर सिंह को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस नोटिस दैनिक कृषि प्रभात दिनांक 24.05.2016 में एवं दैनिक युग पुरूष समाचार पत्र दिनांक 24.05.2016 में प्रकाशित करवाये गये। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक** की बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री जगजीतसिंह पहलवान की बंधक रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है। **जहां तक ऋण** की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पति आवासीय मकान स्थित अहाता नं. 11, चक 20जीजी तहसील व जिला श्रीगंगागनर जो ऋणी जगजीत सिंह के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।**

जहां तक धारा 13(2) के अन्तर्गत **60 दिवस के जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस की तामील का प्रश्न है उक्त नोटिस लेने से इंन्कार करने पर जगजीत सिंह व कंवर सिंह के धारा 13(2) नोटिस पुनः दैनिक कृषि प्रभात बीकानेर एवं दैनिक युग पुरूष बीकानेर में दिनांक 24.05.2016 मे प्रकाशित करवाये गये इस प्रकार अप्रार्थीगण पर उक्त नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक** की समस्त बकाया राशि जमा नही

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

81/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A2/4

करवाई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री जगजीत सिंह पहलवान द्वारा बंधक रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी कम्पनी गृह फाईनंस लिमिटेड स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लैबोरेट्री, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2016 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति **आवासीय मकान अहाता नं. 11, स्थित चक 20जीजी तहसील व जिला श्रीगंगागनर** जो कि ऋणी श्री जगजीत सिंह पहलवान के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/18

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर